जेपीडी–6/35

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

16 XII (B)

क्रमांकःजेपीडी/सीएमडी/मुलेअ(एटीआर)/प. /प्रे0 2007 दिनांक 21/8/12

O/O S.E. (IT) JVVNL, Jaipur

R.R. No 1007 Date 24-8-12

परिपत्र

विषयः–वर्ष 2012–13 में निर्धारित किये गये उपखण्डवार माहवार राजस्व लक्ष्य की वसूली के संदर्भ में।

जैसा कि आपको विदित है विद्युत वितरण निगम वर्तमान में गंभीर वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। बैंकों द्वारा भी समय पर ऋण प्रदान न करने तथा कठिन शर्तो की पालना हेतु दबाव बनाने के कारण यह संकट और भी गम्भीर हो गया है। ऐसी परिस्थिति में एक ही विकल्प शेष बचता है कि पत्र संख्या जविविनिलि/अ. एवं प्र.नि./ मु.ले.अ. (एटीआर)/प. /प्रे. 1478 दिनांक 22.06.2012 द्वारा वर्ष 2012–13 में उपखण्डवार माहवार निर्धारित किये गये राजस्व लक्ष्य की पूरी वसूली करना सुनिश्चित करे। निर्धारित किये गये राजस्व लक्ष्य की वसूली की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित सहायक अभियन्ता व सहायक राजस्व अधिकारी की होगी।

अप्रैल से जून,2012 तक की राजस्व वसूली को देखने से लगता है कि समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों के बावजूद भी बकाया उपभोक्ताओं के समय पर सम्बन्ध विच्छेद नहीं किये जा रहे हैं, सरकारी विभागों (पीएचईडी विभाग सहित) से भी बकाया वसूली के लिए प्रयत्न नहीं किये जा रहें है और ना ही PDC उपभोक्ताओं से EUDR व LR Act के तहत कार्यवाही की जा रही है जो कि एक चिन्ता का विषय है। अब निगम स्तर पर हर माह उपखण्ड के द्वारा प्राप्त की गई राजस्व की तुलना निर्धारित किये गये राजस्व लक्ष्य से की जायेगी। यदि राजस्व वसूली, राजस्व लक्ष्य से कम आती है तो सम्बन्धित सहायक अभियन्ता व सहायक राजस्व अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अतः समस्त वृत अधीक्षण अभियन्ता व लेखाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि हर माह की आगामी 30 तारीख तक प्रत्येक उपखण्ड की तुलनात्मक राजस्व वसूली की स्थिति मय दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही सहित मुख्य लेखाधिकारी (एटीआर) व मुख्य अभियन्ता (पवस) को सूचना भिजवाई जाना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर वृत अधीक्षण अभियन्ता व लेखाधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जावेगी।

XEN IT 27/8 Accnt

(कुंजी लाल मीणा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालना हेतु प्रेषित करते हुए लेख है कि मुख्य अभियन्ता (पवस) पालना सुनिश्चित करावें:–

1– मुख्य अभियन्ता (पवस), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
2– अधीक्षण अभियन्ता (~~ज.न.वृत/ज.जि.वृत/मंवस~~ आई.टी.), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर ; को जयपुर डिस्कॉम वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
3– प्रा.स.–अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
4– वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (पवस/ज.न.वृत/ज.जि.वृत), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
5– अधिशाषी अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम, ...।
6– सहायक अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम, ...।

(के.एल. गुप्ता)
मुख्य लेखाधिकारी (एटीआर)

राजस्व–अज–102

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

पुराना पावर हाउस, हाथी भाटा, जयपुर रोड़, अजमेर

पत्र कमांक / अ.वि.वि.नि.लि/प्र.नि./ मु.ले.अ.(रा.व नि.)/प. / प्रे. 1920 दिनांक 7.8.2012

परिपत्र

विषयः– वर्ष 2012–13 में निर्धारित किये गये उपखण्डवार माहवार राजस्व लक्ष्य की वसूली के संदर्भ में।

जैसा कि आपको विदित है विद्युत वितरण निगम वर्तमान में गंभीर वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। बैंक द्वारा भी समय पर ऋण प्रदान न करने तथा कठिन शर्तों की पालना हेतु दबाव बनाने के कारण यह संकट और भी गंभीर हो गया है। ऐसी परिस्थिति में एक ही विकल्प शेष बचता है कि पत्र संख्या क्र. अ.वि.वि.नि.लि/प्र.नि./ मु.ले.अ.(रा.व नि.)/प./ प्रे. 1367 दिनांक 02.07.2012 द्वारा वर्ष 2012–13 में उपखण्डवार माहवार निर्धारित किये गये राजस्व लक्ष्य की पूरी वसूली करना सुनिश्चित करें। निर्धारित किये गये राजस्व लक्ष्य की वसूली की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित सहायक अभियन्ता व सहायक राजस्व अधिकारी की होगी।

अप्रेल से जून 2012 तक की राजस्व वसूली को देखने से लगता है कि समय–समय पर दिए गए दिशा निर्देशों के बावजूद भी बकाया उपभोक्ताओं के समय पर सम्बन्ध विच्छेद नहीं किये जा रहें हैं, सरकारी विभागों (पीएचईडी विभाग सहित) से भी बकाया वसूली के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये जा रहें है, तथा ना ही PDC उपभोक्ताओं से EUDR व LR Act के तहत कार्यवाही की जा रही है जो कि एक चिन्ता का विषय है। अब निगम स्तर पर हर माह उपखण्ड के द्वारा प्राप्त की गई राजस्व की तुलना निर्धारित किये गये राजस्व लक्ष्य से की जाएगी। यदि राजस्व वसूली, राजस्व लक्ष्य से कम आती है तो सम्बन्धित सहायक अभियन्ता व सहायक राजस्व अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

वृत्त अधीक्षण अभियन्ता व लेखाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि हर माह की आगामी 30 तारीख तक हर उपखण्ड की तुलनात्मक राजस्व वसूली की स्थिति मय दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही सहित मुख्य लेखाधिकारी (रा.व नि.) व मुख्य अभियन्ता (O&M) को सूचना भिजवाई जाना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही पाये जाने पर वृत्त अधीक्षण अभियन्ता व लेखाधिकारी के विरूद्ध भी कार्यवाही की जावेगी।

(पी.एस.जाट)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एंव पालना हेतु प्रेषित करते हुए लेख है कि संभागीय मुख्य अभियन्ता संभाग स्तर पालना सुनिशित करावें।

1. तकनीकि सहायक अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक डिस्कामस् जयपुर वास्ते सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता (पवस), अ.वि.वि.नि.लि., ...
3. संभागीय व. लेखाधिकारी (राजस्व), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/उदयपुर/झुनझुनु
4. अधिक्षण अभियन्ता (पवस), अ.वि.वि.नि.लि., ...
5. लेखाधिकारी (पवस), अ.वि.वि.नि.लि., ...
6. अधीषाशी अभियन्ता (पवस/), अ.वि.वि.नि.लि.....
7. सहायक अभियन्ता (पवस/), अ.वि.वि.नि.लि.....

मुख्य लेखाधिकारी (रा. व नि.)